सं0 सं0 –14/एम 2 –58/2021

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राम ईश्वर (भा0प्र0से0),
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल।
सभी सिविल सर्जन।

पटना, दिनांक–

विषयः– **राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा सरकारी/गैर सरकारी अस्पतालों में एक दिन (Same Day)/Day care में करायी गयी अंतर्वासी चिकित्सा की अनुमान्यता के संबंध में दिशा–निर्देश।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा सरकारी/गैर सरकारी अस्पतालों में एक दिन (Same Day)/Day care में करायी गयी अंतर्वासी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है या नहीं, विभाग के समक्ष विचाराधीन था। उक्त पर विचार करने के लिए विभागीय आदेश संख्या–517(14), दिनांक–15.03.2022 द्वारा निदेशक प्रमुख (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना की अध्यक्षता में त्रिस्दसीय समिति का गठन करते हुए उनसे विभागीय अभिमत एवं अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।

2. उक्त समिति से प्राप्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों द्वारा Date of Admission और Date of Discharge (Date of Death) के साथ Discharge Ticket, जिस पर की गयी चिकित्सा/Procedure का विवरण अंकित हो, समर्पित किये जाने के उपरांत उन्हें अंतर्वासी चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य की जायेगी।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव।
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–14/एम 2 –58/2021......917 (14)

पटना, दिनांक– 04/05/2022

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक/अधीक्षक, सभी सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

04/05/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

D/Rajesh sir/Letter-2